सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

जनसंपर्क विभाग 17 बिन्दु मैन्युअल

बिन्दु क्रमांक 1 - विभाग का संक्षिप्त परिचय

जनसंपर्क विभाग वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश के निर्माण के समय से ही कार्यरत विभाग है। पहलेइस विभाग का नाम सूचना एवं प्रकाशन विभाग था इसे बदलकर बाद में जनसंपर्क विभाग किया गया।राज्य शासन की महत्वपूर्ण गतिविधियों, जनकल्याणकारी नीतियों, सूचनाओं और कार्यक्रमों केप्रचार-प्रसार का कार्य जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग के समाचार प्रभाग से समाचारपत्रों, समाचार एजेन्सियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य टी.वी. चैनल्स को नियमित रूप सेसमाचार, लेख, संदर्भ, वीडियो कव्हरेज और फोटो ग्राफ्स प्रकाशन/प्रसारण के लिये भेजे जाते हैं।विकास के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को जनसामान्य के सामने लाने का कार्य तो संचालनालय द्वाराकिया ही जाता है, समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले भ्रामक और तथ्यहीन समाचारों का प्रतिवाद भेजने की कार्रवाई भी की जाती है। इसके लिये विभागों से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर समाचारपत्रों को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2 - अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय सागर में संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक जनसंपर्क अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी की पदस्थापना जनसंपर्क संचालनालय द्वारा की जाती है जिसके आधार पर पदस्थ अधिकारी संभागीय एवं जिला अधिकारी के साथ–साथ प्रचार प्रसार का दायित्व का निर्वहन करते है । वर्तमान में संभागीय कार्यालय में संयुक्त संचालक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी पदस्थ है ।

बिन्दु क्रमांक 3 - निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और दायित्व

1. स्थापना शाखा :-

2. लेखा शाखा :-

3. बजट शाखा :-

4. विज्ञापन शाखा :-

5.फिल्म शाखा :-

6.भंडार :-

7. फोटो :-

8. क्षेत्रप्रचार :-

9. अधिमान्यता एवं पत्रकार कल्याण :-

राज्य शासन ने जरूरतमंद पत्रकारों के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की दशा में उपचार के लिएआर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2005 बनायेगये है।

बिन्दु क्रमांक 4 - कर्त्तव्य निष्पादन के प्रतिमान

बिन्दु क्रमांक 5 - धारित अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देश जिनका उपयोग कार्यालयीन कार्य के निष्पादन में किया जाता है

विभाग द्वारा धारित अधिनियमों में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867, मध्यप्रदेश विधानसभा में कार्रवाई (प्रकाशन का परित्राण) अधिनियम, 1973, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम 1990, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीयपत्रकारिताएवं संचार विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) एक्ट 1995 तथाउसके अधीन बनाये गए नियम शामिल है। इसके अलावा अन्य नियमों, दिशानिर्देशों जिनका उपयोग कार्यनिष्पादन में किया जाता है, की जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक 6 - अभिलेखों की जानकारी/वर्गीकरण

संचालनालय और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग की मुख्य गतिविधि, समाचारों के जारी किये जानेसंबंधी अभिलेखों का संधारण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 7

नीति निर्धारण संबंधी बोर्ड, परिषद, समितियों एवं निकायों का विवरण जिनमें अशासकीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो :- मध्यप्रदेश विधानसभा की विभाग के लिये एक विभागीय परामर्शदात्री समिति कार्यरत है। इसमें वर्तमान में पांच माननीय विधायकगण सम्मिलित हैं। इसके अलावा पत्रकार अधिमान्यता और कल्याण संबंधी दो अलग-अलग समितियां कार्यरत हैं। यह समितियां अधिमान्यता और पत्रकार कल्याण संबंधी प्रकरणों में परामर्श देती है। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित राजेन्द्र माथुर फैलोशिप और अन्य पुरस्कारों के लिये हर वर्ष निर्णायक मंडल का गठन किया जाता है। इन समितियों में भी अशासकीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।

बिन्दु क्रमांक 8

बिन्दु क्रं. 7 में दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी समितियों के कार्यवाही विवरण सार्वजनिक नहीं किये जाते रहे हैं। कुछ समितियों के निर्णय जानकारी समाचार विज्ञप्ति के रूप में दी जाती है।

बिन्दु क्रमांक 9 - विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के नाम और पदों की सूची।

1 श्री सुनील सिलावट, संयुक्त संचालक, 6 मई 2011 से पदभार ग्रहण
2 श्री ओ.पी.दुबे, सहायक जनसंपर्क अधिकारी
3 श्री जीवनलाल सोनी, कनिष्ठ लेखापाल
4 श्री अशोक कोष्टा, स्टेनो टायपिस्ट
5 श्री मान खॉं, वाहन चालक
6 श्री प्रवेश यादव, भृत्य
7 श्रीमती कांति सैनी, भृत्य
8 श्री विनोद राजवंशी, भृत्य

बिन्दु क्रमांक 10 - अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान पारिश्रमिक की जानकारी

जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान पारिश्रमिक की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्रं. पदनाम वेतनमान

1. संयुक्त संचालक 15600-39100 + 7600
2. सहायक जनसंपर्क अधिकारी 9300-34800 + 4200
4. कनिष्ठ लेखाधिकारी 5000-8000 + 2800
5. स्टेनो टाइपिस्ट 3050-4590 + 2400
6. भृत्य (नियमित) 4440-7940 + 1300

बिन्दु क्रमांक 11 - बजट आवंटन एवं व्यय का ब्योरा

वित्तीय वर्ष 20011-12

जनसंपर्क विभाग के लिए 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि।

(आंकड़े हजार रूपयों में)

राजस्व पूंजी योग

क्रीब 29 लाख रूपये

बिन्दु क्रमांक 12 - अनुदान कार्यक्रम एवं हितग्राही

जनसंपर्क विभाग द्वारा माधवराव सप्रे संग्रहालय को पत्रकारिता संबधी शोधकार्य के लिए अनुदान दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 13 - हितग्राही एवं रियायत की प्रकृति

पत्रकारिता सम्बन्धी शोधकार्यों, संस्थान और प्रेस क्लबों को समय-समय पर अनुदान दिया जाता है इसके अलावा मध्यप्रदेश पत्रकार संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत पत्रकारों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करायी जाती है।

बन्दु क्रमांक 14 - इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकने वाली सूचनाओं की जानकारी

जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.mpinfo.org एवं www.mpnewsarch.org में उपलब्ध सूचनाओं के अलावा विज्ञापन/अधिमान्यता और पत्रकार संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

बिन्दु क्रमांक 15 - सर्वसाधारण को सूचनाओं की जानकारी

बिन्दु क्रमांक 14 में दी गई जानकारी के अनुसार।

बिन्दु क्रमांक 16 - लोक सूचना अधिकारी के संबंध में जानकारी

जनसम्पर्क विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन के लिए लोक सूचना अधिकारी और उनके अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिनके नाम, पद और दूरभाष की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद एवं दूरभाष अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं दूरभाष

1. लोक सूचना अधिकारी–श्री सुनील सिलावट, संयुक्त संचालक
   दूरभाष 07582–222871
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी–श्री ओ.पी.दुबे, सहायक जनसंपर्क अधिकारी
   दूरभाष 07582–222871

3 द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्री सुरेन्द्र भारद्वाज, संयुक्त संचालक
जनसम्पर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल
दूरभाष - 0755-4096256
प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री सुरेश आवतरामानी, अपर संचालक
जनसम्पर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल
दूरभाष - 0755-4096303

बिन्दु कमांक 17

जनसंपर्क विभाग की बेवसाइटो के अलावा संभागीय मुख्यालय और कुछ प्रमुख संभागीय/जिला मुख्यालयों के कुछ कार्यालयों में सूचना केन्द्र स्थापित है । जिनमें जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका के अंक अवलोकन हेतु उपलब्ध है ।